रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1986/आषाढ़ 6, 1908
No. 327] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1986/ASADHA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CK 29/7/86

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1986

अधिसूचना

सं. 359/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 919(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1-3-84

में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैरा में "अध्याय 22 या 27 के अन्तर्गत आने वाले" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अध्याय 22 या 27 या 29 के अन्तर्गत आने वाले" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

[फा. सं. 83/10/86-केन्द्रीय उत्पाद-3]

एस० सी० जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th June, 1986

NOTIFICATION

No. 359/86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 919(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 75/84-Central Excises, dated the 1st March, 1984, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph, for the words and figures "falling under Chapter 22 or 27", the words and figures "falling under Chapter 22 or 27 or 29" shall be substituted.

[F. No. 83/10/86-CX-3]

S. C. JANA, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986